रेशम सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ और अन्य(रणजीत सिंह, नयायाधिपती)

आर.एन.आर.

रणजीत सिंह नयायाधिपती, के सामने

रेशम सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

वित्तीय आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ और अन्य, - प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी.नं. 2008 का 6998,

31 मार्च, 2009

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-धारणीयता- बिक्रीनामा के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) की मंजूरी - उसे चुनौती - क्या उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) को मंजूरी देने के प्रश्न पर याचिका विचार योग्य है - माना जाता है, हाँ - प्रतिवादी अपने पक्ष में अधिकार या बिक्रीनामा स्थापित करने में असफल रहे - याचिकाकर्ता के कब्जे का संकेत देने वाले रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री और जमीन का मालिकाना हक उस विक्रेता के पक्ष में तय किया गया, जिससे याचिकाकर्ताओं ने जमीन खरीदी थी - केवल मुकदमे का लंबित होना उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है - उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) को सिविल मुकदमे में वापस आने पर अलग-अलग निष्कर्षों के आधार पर ठीक किया जा सकता है - आयुक्त और वित्तीय आयुक्त के आदेश रद्द किए।

निर्धारित किया गया कि यह न्यायालय देरी या विलंब के आधार पर या इस आधार पर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर सकता है कि याचिकाकर्ता

के पास सिविल मुकदमा दायर करने का वैकल्पिक उपाय हो सकता है, लेकिन यह मानना संभव नहीं है कि क़ानून द्वारा निर्धारित कार्यों का प्रयोग करते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेश इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के आधीन नहीं होंगे। यदि परमादेश(मैनडेमस) रिट जारी करने की अन्य शर्तें पूरी होती हैं, तो इस रिट पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार, रिट याचिका की विचारणीयता के बारे में दी गई दलील स्वीकार नहीं की जा सकती और तदनुसार खारिज की जाती है।

(पैरा 9)

आगे, यह निर्धारित किया गया कि श्रीमती जिंदा के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा उनके पक्ष में बिक्री के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) स्वीकृत किया गया था। केवल यह कि सिविल मुकदमा लंबित है और केवल स्थगन प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर दिया गया है, उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) के मामले को वापस भेजने का आधार नहीं होगा। अन्य सिविल मुकदमे में निर्णय के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के पक्ष में अधिकार प्राप्त हुए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उत्तरदाता लगातार अपने पक्ष में अधिकार या बिक्रीनामा स्थापित करने में विफल रहे हैं। राजस्व न्यायालयों द्वारा उन आदेशों का सम्मान किया जाना आवश्यक है। रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है जो दर्शाती है कि कब्ज़ा याचिकाकर्ता का है और इसका स्वामित्व भी श्रीमती जिन्दा के पक्ष में तय किया गया है, जिनसे याचिकाकर्ताओं ने यह जमीन खरीदी है। इस प्रकार, केवल मुकदमा लंबित होना, उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) के आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं होगा। यदि सिविल मुकदमे में कोई भिन्न निष्कर्ष लौटाया जाता है, तो उस आधार पर उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) को हमेशा ठीक किया जा सकता है

(पैरा 11)

बी.एस. बेदी, एडवोकेट, *याचिकाकर्ता के लिए*।

यशविंदर सिंह, एएजी, हरियाणा *राज्य* के लिए।

आशीष अग्रवाल, एडवोकेट, *प्रतिवादी संख्या* 3 *से* 5 के लिए।

रणजीत सिंह*, *नयायाधिपती

(1) पार्टियों के बीच विवाद उत्तरदाताओं के पक्ष में किए गए उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 1996 में विभिन्न मालिकों से चार अलग-अलग बिक्रीनामों के माध्यम से 40 कनाल 9 मरला भूमि खरीदी है। बिक्रीनामा प्रत्येक बिक्री लेनदेन में ¼ वें हिस्से की सीमा तक था। एक म्यूटेशन नंबर 5556 को 17 सितंबर, 1997 को सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। शेष तीन बिक्री कार्यों के संबंध में म्यूटेशन 17 मार्च, 1998 को मंजूरी दे दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने 2 जुलाई, 1999 को इसके खिलाफ तीन अलग-अलग अपीलें दायर कीं। 17 मार्च 1998 को तीन बार म्यूटेशन किया गया। यह अपील 1 वर्ष 3 महीने के अंतराल के बाद दायर की गई थी। प्रतिवादी क्रमांक 3 से 5 ने दावा किया कि उन्होंने मालिक के वकील के माध्यम से 8 जुलाई, 1994 को तीन अलग-अलग बिक्रीनामों के माध्यम से भूमि में 3/4 की सीमा तक हिस्सेदारी खरीदी थी। कलेक्टर ने अपील खारिज कर दी।

(2) इसी बीच एक श्रीमती जिंदा ने जमीन के मालिक अनोख सिंह की बहन होने के नाते खुद को एकमात्र मालिक बताते हुए पूरी जमीन पर कब्जे के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया। श्रीमती पियार कौर, अमर कौर और करतार कौर ने भी श्रीमती जिंदा के खिलाफ , मुकदमे की संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करते हुए अलग-अलग मुकदमे दायर किए। पियार कौर के पुत्र कपूर सिंह और उनके भाई जागीर सिंह को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। दोनों मुकदमों को समेकित किया गया और श्रीमती जिंदा को अकेले ही अनोख सिंह की संपत्ति के उत्तराधिकारी मानते हुए 19 जनवरी, 1980 को निपटारा किया गया। पियार सिंह और कपूर सिंह द्वारा दायर अपील खारिज कर

दी गई और इसी तरह इस अदालत के समक्ष दायर नियमित दूसरी अपील भी खारिज कर दी गई। यहां तक कि विशेष अनुमति याचिका भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई।

(3) इस दौरान श्रीमती जिंदा की मौत हो गई। उसके कानूनी प्रतिनिधियों ने एक निष्पादन प्रार्थनापत्र दायर किया। कपूर सिंह ने एक आपत्ति याचिका दायर की जिसे 22 नवंबर, 1993 को खारिज कर दिया गया। उन्होंने डिक्री धारकों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा भी दायर किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि उन्हें कपूर सिंह से मुकदमे की संपत्ति का कब्जा छीन लेने से रोका जाए। जिस निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की गई थी उसे अस्वीकार कर दिया गया और उसके खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 उक्त कपूर सिंह के पोते हैं। अब उन्होंने निष्पादन याचिका में कपूर सिंह को भी एक पक्षकार बनाते हुए आपत्तियां दाखिल की हैं। उन्होंने अपना दावा बिक्री कार्यों पर आधारित किया है, जिन्हें दिल्ली में निष्पादित किया गया है। संपत्ति करनाल में स्थित है। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने निषेधाज्ञा के लिए एक अलग मुकदमा दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया है। उन्होंने अब निष्पादन आवेदन में जवाब दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि वे कपूर सिंह द्वारा निष्पादित कथित बिक्री कार्यों के माध्यम से कब्जे मे मालिक बन गए हैं, जिन्होंने उन्हें कब्जा दिलाया था। निष्पादन न्यायालय ने इस लंबे इतिहास को देखने के बाद, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया है। यहां तक कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को भी उनके सामने उठाए गए विवाद में कोई तथ्य नहीं मिला। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने तब निष्पादन कार्यवाही में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा

पारित आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। उक्त पुनरीक्षण को भी इस न्यायालय ने 23 मार्च, 1995 को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस निष्पादन के आधार पर, जैसा कि आदेश दिया गया था, कब्ज़ा श्रीमती जिंदा के कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंप दिया गया था। तदनुसार उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) को मंजूरी दी गई थी। कलेक्टर ने 13 नवंबर, 2000 को अपील खारिज कर दी। हालांकि, आयुक्त ने 21 अप्रैल, 2004 को नए फैसले के लिए मामले को वापस कलेक्टर के पास भेज दिया। याचिकाकर्ता इस आदेश के खिलाफ इस आधार पर शिकायत करेगा कि यह आदेश महज़ अनुमान और धारणाएँ पर आधारित है । उसी से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वित्तीय आयुक्त के समक्ष तीन पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन उन्हें 7 मार्च, 2008 को खारिज कर दिया गया था। इन आदेशों को अब याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी है।

(4) प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया और आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-3 और पी-4 के संचालन पर रोक लगा दी गई। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से उत्तर अब दाखिल किया गया है।

(5) उत्तरदाताओं का आग्रह होगा कि याचिकाकर्ता के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया क्योंकि विवाद केवल उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) की मंजूरी से संबंधित है। वे दावा करते कि प्रतिवादी क्रमांक 3 से 5 के पक्ष में बिक्रीनामा समय से पहले यानी 8 अप्रैल, 1994 को किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता के पक्ष में एक बिक्रीनामा 19 जून, 1996 को

दिनांकित था। इस पृष्ठभूमि में कहा गया है कि सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा इसके बाद विक्रय पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष मे उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) को मंजूरी दे दी गई थी, जो अवैध है। जवाब में कहा गया है कि आयुक्त ने मामले को केवल नए निर्णय के लिए सहायक कलेक्टर को भेजा है और याचिकाकर्ता उनके समक्ष अपनी शिकायत उठा सकता है। यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में बाद की बिक्रीनामे के संबंध में मामला करनाल में एक सिविल कोर्ट में पार्टियों के बीच लंबित एक सिविल मुकदमे में विचाराधीन है। यह दलील दी गई है कि केवल उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) की मंजूरी से किसी विशेष पक्ष को कोई अधिकार नहीं मिल जाता है और रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

(6) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है।

(7) पूरा मामला उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) की मंजूरी से जुड़ा है। कलेक्टर ने पक्षों के बीच लंबे समय तक चली लड़ाई का विवरण नोट करके याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) को मंजूरी दे दी थी। आयुक्त ने यह देखते हुए इस आदेश में हस्तक्षेप किया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में बिक्रीनामे को चुनौती देने वाले प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा मुकदमे में दायर केवल स्थगन आवेदन खारिज कर दिया गया था और मुकदमा लंबित था। आयुक्त ने तदनुसार मामले को नए सिरे से तय करने के लिए सहायक कलेक्टर को वापस भेज दिया था।

(8) उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील कहेंगे कि मामले को केवल रिमांड पर लिया गया है और इस प्रकार, रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, वह यह भी दलील देंगे कि उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ रिट याचिका वास्तव में सुनवाई योग्य नहीं होगी। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने मेरा ध्यान ***लेहना सिंह बनाम हरियाणा राज्य***[1] के मामले की ओर आकर्षित किया है। इस मामले में, न्यायालय ने तथ्य के विवादित प्रश्न पाए है कि क्या भूमि उचित अधिसूचना के माध्यम से ग्राम पंचायत की थी और सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थी और क्या पंचायत के नाम पर उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) को कानूनी रूप से मंजूरी दी गई थी, जिनका निर्णय पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा या सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि **लेहना सिंह (सुप्रा)** के मामले में, रिट याचिका पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम के तहत अधिकारियों से संपर्क किए बिना सीधे इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। यह उस निर्णय से स्पष्ट किया जा सकता है जिसमें इस मामले में प्रतिवादी-नगरपालिका कमिट्टी का रुख नोट किया गया है। फैसले के पैरा 3 में, प्रतिवादी के रुख का एक हिस्सा, जैसा कि देखा गया, यह है कि *"यह आगे कहा गया है कि उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) और जमाबंदी को केवल राजस्व अदालतों में चुनौती दी जा सकती है।"* इस प्रकार, एक रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में टिप्पणी, स्पष्ट रूप से इसी संदर्भ में की गई है। इसे

[1] 1995(3) पी.एल.आर 504

न्यायालय द्वारा जारी किए गए अंतिम निर्देश से भी समझा जा सकता है, जिसमें लिखा है, *"यदि याचिकाकर्ता राजस्व अधिकारियों के उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) को मंजूरी देने या जमाबंदीओं में प्रविष्टियों को शामिल करने के निर्णय से व्यथित हैं, उनके लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपाय सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करना है।"* इस प्रकार, मेरे विचार से, यह निर्णय कोई बाध्यकारी मिसाल नहीं देता है कि उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) प्रविष्टियों को चुनौती देने के लिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। ***फिर रणजीत सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त राजस्व, पंजाब और अन्य***[2] के मामले का संदर्भ दिया गया है।ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले का निर्णय उसमें निहित तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता चाहता था कि 19 नवंबर, 1941 के पंजीकृत बिक्रीनामा और वर्ष 1943 के अधीनस्थ न्यायाधीश के डिक्री के आधार पर उसके पक्ष में उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) स्वीकृत किया जाए। यह दृष्टिकोण राजस्व अधिकारियों को स्थानांतरित करने में 20 साल की देरी से किया गया था। इस देरी की संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकी। पृष्ठभूमि में, यह देखा गया कि याचिकाकर्ता के वकील यह दिखाने में असमर्थ थे कि वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था या इन दस्तावेजों के आधार पर 20 वर्ष से अधिक की देरी पर उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) को मंजूरी देने के लिए राजस्व अधिकारियों पर कोई वैधानिक दायित्व था। । इसके बाद स्पष्ट रूप से यह देखा गया कि:-

"इसके अलावा उत्परिवर्तन(म्यूटेशन) को मंजूरी देने के सवाल पर कोई भी रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इन मामलों को नियमित सिविल मुकदमे में बेहतर तरीके से तय किया जा सकता

[2] 1981 पी.एल.जे 5

है और उसके बाद उत्परिवर्तन(म्यूटेशन) आदेश को सही कराया जा सकता है।"

(9) इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपने पक्ष में उत्परिवर्तन(म्यूटेशन) दर्ज करने के लिए राजस्व अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। हालाँकि इस तरह का उत्परिवर्तन(म्यूटेशन) कोई अधिकार या शीर्षक प्रदान नहीं कर सकता है, लेकिन यह राजस्व अधिकारियों पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों को सही करने का एक कर्तव्य है। ऐसा करते समय, उन्होंने एक क़ानून द्वारा निर्धारित कुछ कार्य किए। परमादेश(मैनडेमस) सार्वजनिक अधिकारियों या निकायों को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करने के लिए जारी किया जा सकता है, चाहे वह क़ानून या सामान्य कानून द्वारा लगाया गया हो। ऐसे मामले में परमादेश(मैनडेमस) जारी करने की प्रार्थना को इस आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है कि वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध है। हालाँकि ***रणजीत सिंह (सुप्रा)*** के मामले में कुछ पारित संदर्भ दिए गए हैं कि उत्परिवर्तन(म्यूटेशन) को मंजूरी देने के सवाल पर कोई भी रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, लेकिन यह टिप्पणियों से योग्य है कि इन मामलों का निर्णय नियमित मुकदमे में किया जा सकता है और उसके बाद उत्परिवर्तन(म्यूटेशन) आदेश ठीक करवाया जा सकता है । इससे यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि उत्परिवर्तन(म्यूटेशन) प्रविष्टियों को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। यह न्यायालय देरी या विलंब के आधार पर या इस आधार पर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर सकता है कि याचिकाकर्ता के पास सिविल मुकदमा दायर करने का वैकल्पिक उपाय हो सकता है, लेकिन यह मानना संभव नहीं है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा क़ानून द्वारा निर्धारित कार्य करते हुए पारित आदेश इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं होगा। यदि परमादेश(मैनडेमस) रिट जारी करने की अन्य शर्तें पूरी होती हैं, तो इस रिट पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार, रिट याचिका की विचारणीयता के बारे में दी गई दलील स्वीकार नहीं की जा सकती और तदनुसार खारिज की जाती है।

(10) याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) को मंजूरी दिए जाने को कलेक्टर के समक्ष एक अपील में चुनौती दी गई थी, जिन्होंने पाया कि उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) का मामला सारांश प्रकृति(सममरी नेचर) का है और निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किया जाना था। तदनुसार, उन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए राजस्व रिकॉर्ड में उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) के संबंध में कोई बदलाव का आदेश नहीं दिया और अपील खारिज कर दी। आयुक्त ने यह देखते हुए मामले को वापस भेज दिया है कि कलेक्टर के आदेश ने इस धारणा के तहत आदेश पारित किया था कि वर्ष 1994 में पंजीकृत बिक्री कार्यों के संबंध में दायर मुकदमा खारिज कर दिया गया था, जबकि केवल स्थगन के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था। मुख्य मुकदमा अभी भी लंबित था। तदनुसार मामले को नए सिरे से तय करने के लिए भेज दिया गया। इस आदेश को अंततः वित्तीय आयुक्त ने बरकरार रखा।

(11) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि प्रतिवादियों के पक्ष में बिक्री मुख्तियार सिंह द्वारा की गई थी जो पियारा सिंह के सामान्य अट्टारणी थे। इसमें कोई विवाद नहीं है कि श्रीमती जिंदा के पक्ष में आदेश है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक बरकरार रखा गया है। यह भी आग्रह किया गया है कि वकील मुख्तियार सिंह द्वारा उत्तरदाताओं के पक्ष में किया गया बिक्रीनामा फर्जी था और कपूर सिंह के खिलाफ पुलिस स्टेशन, करनाल में एफआईआर भी दर्ज की गई है। कब्ज़ा भी श्रीमती जिंदा के पक्ष में सौंप दिया गया था। श्रीमती जिंदा के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा उनके पक्ष में बिक्री के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) स्वीकृत किया गया था। केवल यह कि सिविल मुकदमा लंबित है और केवल स्थगन आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) के मामले को वापस भेजने का आधार नहीं होगा। अन्य सिविल मुकदमे में निर्णय के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के पक्ष में अधिकार प्राप्त हुए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उत्तरदाता लगातार अपने पक्ष में अधिकार या बिक्रीनामा स्थापित करने में विफल रहे हैं। वो आदेश राजस्व न्यायालयों द्वारा सम्मान किया जाना आवश्यक है। रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है जो दर्शाती है कि कब्ज़ा याचिकाकर्ता का है और इसका स्वामित्व श्रीमती जिन्दा के पक्ष में तय किया गया है जिन से याचिकाकर्ताओं ने यह जमीन खरीदी है।

इस प्रकार, केवल मुकदमे का लंबित होना, उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) के आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं होगा। यदि सिविल मुकदमे में कोई भिन्न निष्कर्ष लौटाया जाता है, तो उस आधार पर उत्परिवर्तन को हमेशा ठीक किया जा सकता है।

(12) इस प्रकार, आयुक्त और वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश कायम नहीं रह सकते। उसे रद्द किया जाता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इन उत्परिवर्तन(म्यूटेशन) प्रविष्टियों को लंबित मुकदमे में सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के आधार पर बदला जा सकता है।

(13) रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

<u>अस्वीकरण :</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा

रेशम सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ और अन्य(रणजीत सिंह, नयायाधिपती)